



भारतीय दंत परिषद

(दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय)
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन

DENTAL COUNCIL OF INDIA

(A STATUTORY BODY CONSTITUTED UNDER THE DENTISTS ACT, 1948)
UNDER MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE, GOVERNMENT OF INDIA

75
आजादी का
अमृत महोत्सव

सार्वजनिक सूचना

दंत महाविद्यालयों/संस्थानों में रैगिंग पर अंकुश

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि रैगिंग एक दण्डनीय अपराध है तथा भारतीय दन्त परिषद द्वारा डेंटल कॉलेजों/संस्थानों में रैगिंग के खतरे को रोकने, प्रतिबंधित तथा समाप्त करने हेतु 'दन्त कॉलेजों में रैगिंग की बुराई पर रोक लगाने वाले डीसीआई विनियम, 2009' फ्रेम किया है।

उपरोक्त नियम अनिवार्य है और सभी डेंटल कॉलेज/संस्थान इसके कार्यान्वयन हेतु आवश्यक कदम उठाये तथा इसकी सूचना भारतीय दंत परिषद को दें।

रैगिंग से संबंधित घटनाओं के कारण परेशान छात्र UGC के टोल फ्री हेल्पलाइन 1800-180-5522 या भारतीय दन्त परिषद में 011-23238542 पर संपर्क कर सकते हैं।

PUBLIC NOTICE

Curbing The Meance of Ragging In Dental Colleges/Institutions

It is brought to the notice of the Public that ragging is a criminal offence and Dental Council of India has framed 'DCI Regulations on curbing the Meance of Ragging in Dental Colleges, 2009' in order to prohibit, prevent and eliminate the scourge of ragging in Dental Colleges/Institutions.

The above regulations are mandatory and all the Dental Colleges/Institutions shall take necessary steps for its implementation under intimation to the Dental Council of India.

Students in distress owing to ragging related incidents can access the UGC at Toll Free Helpline 1800-180-5522 or Dental Council of India at 011-23238542.

Secretary
Dental Council of India